HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जानलेवा हमला के मामले में एक अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 01.05.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा जानलेवा हमला करने वाले एक अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 04.12.2022 को अभियुक्त मुकेश कुमार साहनी पुत्र शकलदीप साहनी निवासी ग्राम जगदीशपुर भया दिघरा थाना समस्तीपुर बिहार द्वारा वादी के साथी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर घायल करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 546/2022 धारा 308, 323, 504, 506, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 06.01.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 01.05.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय हापुड़ द्वारा 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री आशीष कश्यप (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उप निरीक्षक श्री दीन दयाल यादव एवं पैरोकार का0 दीपक कुमार व कोर्ट मोहर्रिर का0 दुष्यंत राठी का विशेष योगदान रहा।